सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 48/2017

1. राजेन्द्रपाल कौर पत्नी हर्षपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान
2. बलजीत सिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी ऊडाग तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
3. यशनजोत सिंह सिंह पुत्र हर्षपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एच बडा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित : 1. श्री मनोहरलाल सहारण, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, रेस्पो. 02
3.श्री हरीश कुमार सोनी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश **दिनांक : 01.06.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 03 के नाम से चक 6 एच बडा के खाता संख्या 37 मु.ल. 34,38 का 7.378 हैक्टर मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज था तथा इसी चक के खाता सख्या 09 के मु.न. 13,19,26,27,31,35,37,38,39,41,42,44 का 22.095 हैक्टर चरणजीत सिंह वगैरा जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 भी शामिल है के नाम से 0.010 हैक्टर खातेदारी दर्ज था जैसा कि जमाबन्दी में भी दर्ज है, नकल शामिल है। खाता सख्यां 9/9 का विभाजन तहसीलदार से करवाते समय गलत तौर से अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 03 के खाता को भी शामिल करते हुए खाता विभाजन दिनांक 06.12.2010 को करवाया गया तथा इसमें भी रेस्पोडेन्ट 3 के नाम से 0.010 हैक्टर ही दर्ज किया गया मगर रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने एक अपील श्रीमान न्यायालय में अपील संख्या 81/14 पेश। करके दिनांक 17.06.2015 को चुपचाप यकतरफा तौर पर अपील में आदेश। पारित करवाते हुए खाता विभाजन के आदेश। को निरस्त करवा दिया तथा चुपचाप पटवारी हल्का से मिलकर गलत तौर से इन्तकाल नम्बर 207 दर्ज करवाकर चुपचाप तस्दीक करवा लिया जिसमें अपीलान्टा तथा रेसपोडेन्ट 3 के रकबा 7.378 हैक्टर के स्थान पर 5.984 हैक्टर दर्ज करवाते हुए अपने नाम 0.010 हैक्टर के स्थान पर 1.440 हैक्टर दर्ज करवा लिया जो कि स्पष्ट तौर से गलत है। खाता विभाजन के मामले में अपीलान्टा को बुलाया गया ना सुना गया ना ही कानूनन खाता नम्बर 9/9 के हिस्सेदारों में विभाजन करवाते समय अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नम्बर 3 के रकबा खाता सख्या 37 मु.न. 34,38 के 7.378 हैक्टर को शामिल करने की आक्श्यकता थी ना कानूनन हो सकती थी तथा ना ही अपील संख्या 81/14 में अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट 3 को बुलाया गया। इन्तकाल करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कोई कानूनी प्रकिया अपनायी गई ना ही इंतकाल नियमों की पालना की गई तथा ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई, खाता सख्या 37 का 7.378 हेक्टर का कब्जा अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के कब्जा में चला आ रहा है जबकि इन्तकाल करते समय खाता सख्या 37 व 9/9 के रकबा को शामिल करके 1.440 हैक्टर रेस्पोडेन्ट 2 के नाम दर्ज किया गया है जबकि उसका कब्जा केवल मात्र खाता संख्या 9/9 की भूमि में 0010 पर ही है। अतः कब्जा के अभाव में भी कानूनन इंतकाल रेस्पोडेन्ट नम्ब्र 02 के नाम से 1.440 हैक्टर का नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यदि अपीलान्टा को यदि कोई शौकाज नोटिस दिया जाता तथा मजमे आम में जांच की जाती तथा कब्जा के बारे में रिपोर्ट ली जाती तो किसी प्रकार से ऐसा इंतकाल नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7.08.2015 को इंतकाल दर्ज कर पेश करने पर तथा आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 17.08.2015 को गलत मिलान का अंकन करने का दर्ज करने पर दिनांक 18.08.2015 को तस्दीक कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपनायी गई है। अब रेस्पोडेन्ट गलत इंतकाल का अनुचित लाभ उठाकर रकबा मुंतकिल करने की कोशिश में है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 03 के नाम से चक 6 एच बडा के खाता संख्या 37 मु.ल. 34,38 का 7.378 हैक्टर मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज था तथा इसी चक के खाता सख्या 09 के मु.न. 13,19,26,27,31,35,37,38,39,41,42,44 का 22.095 हैक्टर चरणजीत सिंह वगैरा जिसमें रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 भी शामिल है के नाम से 0.010 हैक्टर खातेदारी दर्ज था जैसा कि जमाबन्दी में भी दर्ज है, नकल शामिल है। खाता सख्यां 9/9 का विभाजन तहसीलदार से करवाते समय गलत तौर से अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 03 के खाता को भी शामिल करते हुए खाता विभाजन दिनांक 06.12.2010 को करवाया गया तथा इसमें भी रेस्पोडेन्ट 3 के नाम से 0.010 हैक्टर ही दर्ज किया गया मगर रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 ने एक अपील श्रीमान न्यायालय में अपील संख्या 81/14 पेश करके दिनांक 17.06.2015 को चुपचाप यकतरफा तौर पर अपील में आदेश पारित करवाते हुए खाता विभाजन के आदेश को निरस्त करवा दिया तथा चुपचाप पटवारी हल्का से मिलकर गलत तौर से इन्तकाल नम्बर 207 दर्ज करवाकर चुपचाप तस्दीक करवा लिया जिसमें अपीलान्टा तथा रेसपोडेन्ट 3 के रकबा 7.378 हैक्टर के स्थान पर 5.984 हैक्टर दर्ज करवाते हुए अपने नाम 0.010 हैक्टर के स्थान पर 1.440 हैक्टर दर्ज करवा लिया जो कि स्पष्ट तौर से गलत है। खाता विभाजन के मामले में अपीलान्टा को बुलाया गया ना सुना गया ना ही कानूनन खाता नम्बर 9/9 के हिस्सेदारों में विभाजन करवाते समय अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के रकबा खाता सख्या 37 मु.न. 34,38 के 7.378 हैक्टर को शामिल करने की आक्श्यकता थी ना कानूनन हो सकती थी तथा ना ही अपील संख्या 81/14 में अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट 3 को बुलाया गया। इन्तकाल करने से पूर्व अधीनस्थ

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय द्वारा ना तो कोई कानूनी प्रकिया अपनायी गई ना ही इंतकाल नियमों की पालना की गई तथा ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई, खाता सख्या 37 का 7.378 हेक्टर का कब्जा अपीलान्टा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 के कब्जा में चला आ रहा है जबकि इन्तकाल करते समय खाता सख्या 37 व 9/9 के रकबा को शामिल करके 1.440 हैक्टर रेस्पोडेन्ट 2 के नाम दर्ज किया गया है जबकि उसका कब्जा केवल मात्र खाता संख्या 9/9 की भूमि में 0010 पर ही है। अतः कब्जा के अभाव में भी कानूनन इंतकाल रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 के नाम से 1.440 हैक्टर का नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यदि अपीलान्टा को यदि कोई शौकाज नोटिस दिया जाता तथा मजमे आम में जांच की जाती तथा कब्जा के बारे में रिपोर्ट ली जाती तो किसी प्रकार से ऐसा इंतकाल नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7.08.2015 को इंतकाल दर्ज कर पेश करने पर तथा आई.एल.आर. द्वारा दिनांक 17.08.2015 को गलत मिलान का अंकन करने का दर्ज करने पर दिनांक 18.08.2015 को तस्दीक कर दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि कोई कानूनी प्रकिया नहीं अपनायी गई है। अब रेस्पोडेन्ट गलत इंतकाल का अनुचित लाभ उठाकर रकबा मुंतकिल करने की कोशिश में है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल जेर अपील को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने माननीय न्यायालय में वादग्रस्त भूमि बाबत अपील सख्या 81/14 अनवानी बलजीत बनाम स्टेट वगैरा पेश की थी और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2015 से अपील स्वीकार कर प्रकरण में जांच कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था और उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.07.2015 को उपस्थित रहे, का निर्देश भी दे दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया है और कानूनन दोनो पक्षों को सुनकर इंतकाल स्वीकृत किये जाने से अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने से कानूनी वर्जना है। और अपील माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार की नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार की न होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि रेस्पोडेन्ट सख्या 02 ने माननीय न्यायालय में वादग्रस्त भूमि बाबत अपील सख्या 81/14 अनवानी बलजीत बनाम स्टेट वगैरा पेश की थी और माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.06.2015 से अपील स्वीकार कर प्रकरण में जांच कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था और उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.07.2015 को उपस्थित रहे, का निर्देश भी दे दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुनकर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया है और कानूनन दोनो पक्षों को सुनकर इंतकाल स्वीकृत किये जाने के कारण हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2015 को उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित किया गया है। इस न्यायालय अपील संख्या 81/84 निर्णय दिनांक 17.06.2015 से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील स्वीकार कर प्रकरण में जांच कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत किया है। इस प्रकार अपीलाधीन इंतकाल के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर बी जे (4)1997 पेज 198 में अभिनिर्धारित किया है कि Rajasthan Land Revenue Act 1956 - Section 135[2] In Case of Disputed Mutation- Appeal will lie before the Commissioner.

शासन के परिपत्र सं0 एफ 6 (21) रेवेन्यू/ जीआर /4/ 87/ 29 जीएसआर/60 दिनांक 20–6–87 द्वारा डायरेक्टर लैण्ड रिकार्ड की शक्तियॉ माननीय संभागीय आयुक्त को है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मिर्जेवाला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने अपीलार्थी को लौटाई जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार श्रीगंगानगर एवं उप तहसीलदार मिर्जेवाला को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/06/2018

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।